# न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
## मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

**पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}**

**प्रकरण संख्याः 82/2021(जी.सी.एम.एस. 2021/139)**

| वादीगण | बनाम प्रतिवादीगण |
|---|---|
| 1. गुरमीत कौर पुत्री गोखी उर्फ हरचन्द सिंह पत्नी सुरेन्द्र सिंह जाति मजहबी सिख निवासी 12 एच मोहलां तहसील श्रीकरणपुर। | 1. गोखी उर्फ हरचन्द सिंह पुत्र सरबन सिंह जाति मजहबी सिख निवासी 12 एच मोहलां हाल निवासी वार्ड नम्बर 2 नजदीक स्टेडियम व वर्कशॉप गुरूसर वाला का मकान केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर।<br>2. गुरदीप कौर पुत्री गोखी उर्फ हरचन्द सिंह पत्नी गोरधन उर्फ सूर्य जागिंड जाति मजहबी सिख निवासी 12 एच मोहलां हाल निवासी वार्ड नम्बर 2 नजदीक स्टेडियम व वर्कशॉप गुरूसर वाला का मकान केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर।<br>3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर। |

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**तारीख रजू 01.09.2021**

**उपस्थितः 1.श्री गुरदेव सिंह वड़िंग, श्री गुरदयाल सिंह मल्ली अधिवक्ता वादी**
**2.श्री विशाल वर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1**

**--निर्णय--** **दिनांकः 30.04.2024**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 12 एच, पटवार हल्का मोहल्लां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 100/96 के मुरब्बा नम्बर 41, 67/16 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से 1/5 हिस्सा वादिया व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता गोखी पुत्र सरबन सिंह के नाम मुश्तर्का खाता में दर्ज है। वादिया के दादा सरबन सिंह को बतौर क्लेमेंट चक 12 एच के मुरब्बा नम्बर 41 की 6.325 हैक्टेयर भूमि पुख्ता आवंटन में प्राप्त हुई। जिसकी तमाम किस्ते अदा करने पर जरिए इन्तकाल संख्या 470 सरबन सिंह व उसके परिवार के सदस्यों को खातेदारी प्रदान की गई। इस प्रकार उक्त भूमि संयुक्त परिवार की जद्दी जायदाद है। जिसमें वादिया का पिता 1/5 हिस्सा का बतौर सहखातेदार दर्ज है। वादिया व प्रतिवादी संख्या 2 बतौर कोपासनर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की मुरब्बा नम्बर 41 में 1/5 हिस्सा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के साथ 1/3 हिस्सा प्राप्त करने की कानूनन अधिकारी है। वादिया ने अपने पिता से उसके 1/3 हिस्सा का हक प्राप्त करने के लिए कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने उसका हिस्सा देने से साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 12 एच, पटवार हल्का मोहल्लां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 100/96 के मुरब्बा नम्बर 41, 67/16 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से वादिया व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता गोखी पुत्र सरबन सिंह के नाम दर्ज 1.265 हैक्टेयर भूमि में से वादिया को 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे व वादिया के पिता का नाम गोखी पुत्री सरबन सिंह के स्थान पर गोखी पुत्र सरबन सिंह दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए स[illegible] किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री विशाल वर्मा उपस्थित आ[illegible] जवाबदा[illegible]श नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद तामील उपस्थित न[illegible] इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर [illegible] बन्द किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 का जवाबदावा बन्द है। प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए तनकीयात कायम नहीं की गई।
3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादिया, शपथ पत्र, का अध्ययन किया। वादिया अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम चक 12 एच, पटवार हल्का मोहल्लां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:27:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

100/96 की छायाप्रति, चक 12 एच, पटवार हल्का मोहल्लां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 96/90 की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। वादिया के द्वारा चक 12 एच, पटवार हल्का मोहल्लां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 100/96 के मुरब्बा नम्बर 41, 67/16 की कुल 6.325 हैक्टेयर गैरखातेदार भूमि में से वादिया व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता गोखी पुत्र सरबन सिंह के नाम दर्ज 1.265 हैक्टेयर गैरखातेदार भूमि में से वादिया को 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किये जाने व वादिया के पिता का नाम गोखी पुत्री सरबन सिंह के स्थान पर गोखी पुत्र सरबन सिंह दुरूस्त किए जाने बाबत निवेदन किया है। हस्तगत प्रकरण में राजस्व ग्राम 12 एच, पटवार हल्का मोहल्लां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 100/96 के मुरब्बा नम्बर 41, 67/16 की कुल 6.325 हैक्टेयर गैरखातेदार भूमि में से गोखी पुत्री सरबन सिंह के नाम 1/5 हिस्सा गैरखातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। लिहाजा वादगत भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार दर्ज है। गैरखातेदार भूमि में से वादिया को खातेदार घोषित किया जाना उचित नहीं है। अतः वाद पत्र वादिया, वादिया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर अस्वीकार/खारिज किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

**-:आदेशः-**

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 30.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:27:31 IST
Reason: SelfAttested

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

**अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर**
**ब इजलास श्री श्योराम** आर.ए.एस.

गुरमीत कौर बनाम गोखी उर्फ हरचन्द सिंह आदि

धारा अन्तर्गत **88, 91, 92 आरटीए** मुकदमा नम्बर **82/2021**

**निर्णय दिनांक :- 30.04.2024**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री गुरदेव सिंह, श्री गुरदयाल सिंह मल्ली एवं प्रतिवादी अधिवक्ता श्री विशाल वर्मा** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 30.04.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर

| मुददई | रूपया | पैसा | मुदायली | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजीदावा | 02 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 00 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 02 | 00 | स्टाम्प अरजी | 00 | -- |
| स्टाम्प ड्यूटी | 00 | 00 | मेहनताना वकली पर | 00 | -- |
| **योग** | 04 | **00** | योग | **00** | **00** |

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:27:31 IST
Reason: SelfAttested